



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02092021-229358
CG-MH-E-02092021-229358

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3260]
No. 3260]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 31 अगस्त, 2021

का.आ. 3563(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “कल्याण-कसारा तीसरी लाइन” परियोजना को भूमि अधिग्रहण के हेतु ठाणे जिला में लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबन्धित करने हेतु, महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. जी 198/2021/जीओएम/1]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Mumbai, the 31st August, 2021

S.O. 3563(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby notifies “Kalyan-Kasara 3rd line” project under Special Railway Project for acquisition of land in Thane District in the State of Maharashtra for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G 198/2021/GOM/1]

MANOJ SHARMA, Chief Administrative Officer (Construction)